



Neutral Citation No. – 2026:AHC:12665

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 3057 वर्ष 2024

हरिश्चंद्र सिंह और 2 अन्य

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील	: आद्या प्रसाद तिवारी
प्रतिवादी के वकील	: आशीष कुमार सिंह, ब्रजेश शुक्ला, सीएससी, चंद्र भूषण धर दुबे, वत्सला

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आद्या प्रसाद तिवारी, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आशीष कुमार सिंह, जिनकी सहायता श्री ब्रजेश शुक्ला कर रहे थे, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.एन. पाठक और प्रतिवादी संख्या 3/नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र भूषण धर दुबे की दलीलें सुनी गईं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"श्रीमती बोना श्रीवास्तव बनाम हैशचंद्र सिंह और अन्य के पुनरीक्षण संख्या 2447/2024 की कार्यवाही और राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के न्यायिक सदस्य श्री ओम प्रकाश राय द्वारा दिनांक 22.07.2024 को पारित स्थगन आदेश (क्रमशः अनुलग्नक संख्या 11 और 13 में निहित) को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न अपील की बर्खास्तगी के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा राजस्व बोर्ड के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर अपील पर दिया गया निर्णय डिक्री के समान होगा और दूसरी अपील राजस्व बोर्ड के समक्ष विचारणीय होगी। उन्होंने आगे निवेदन किया कि पुनरीक्षण याचिका की कार्यवाही के साथ-साथ राजस्व बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण याचिका पर पारित स्थगन आदेश को भी रद्द किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा उन्होंने निवेदन किया कि अपील के समर्थन में दायर विलंब क्षमादान आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अपील खारिज हो गई है। अतः, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 209 के प्रावधानों के अनुसार, दूसरी अपील विचारणीय नहीं होगी। उन्होंने आगे निवेदन किया कि राजस्व बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण में अंतरिम आदेश पारित करने और पुनरीक्षण पर विचार करने में कोई अवैधता नहीं है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि पुनरीक्षण लंबे समय से राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है, अतः याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के बजाय राजस्व बोर्ड के समक्ष कार्यवाही का विरोध करना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

6. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका, अपील को परिसीमा के आधार पर खारिज करने के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद स्थित प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित है।

7. चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है, इसलिए यह उचित होगा कि लंबित पुनरीक्षण याचिका पर राजस्व बोर्ड द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क/आपत्तियों/बहस को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/उत्तराखण्ड बोर्ड, इलाहाबाद को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर पुनरीक्षण संख्या 2447/2024 (श्रीमती बीना श्रीवास्तव बनाम हैशचंद्र सिंह और अन्य) पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क/आपत्तियों/बहस पर विचार करते हुए, कानून के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय ले।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

19 जनवरी, 2026



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"